न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 35/2022

प्रार्थीगण :–

1. अमन चेन पुत्री मिसु खॉ पत्नी मुखतार अली आयु 34 वर्ष, जाति तेली मुसलमान निवासी मस्जिद के पास ग्राम रेपड़ावास तहसील सोजत सिटी जिला पाली।
2. गुडिया पुत्री मिसु खॉ पत्नी अब्दुल गनी थेयम आयु 44 वर्ष, जाति तेली मुसलमान निवासी कुम्हारों का बास ग्राम बिराटिया खुर्द तहसील रायपुर, जिला पाली राज.
3. जमीला बानो पुत्री मिसु खॉ पत्नी अलादीन आयु 46 वर्ष, जाति तेली मुसलमान निवासी नाईयों का बास ग्राम पिपलिया कलॉ तहसील रायपुर जिला पाली राज.
4. धापूदेवी पुत्री मिसु खॉ पत्नी रमजान खॉ, आयु 33 वर्ष, जाति तेली मुसलमान निवासी मुन्डावा रोड़ पिपलिया खुर्द तहसील रायपुर जिला पाली राज.
5. मदीना बानो पुत्री मिसु खॉ पत्नी मुखत्यार खान आयु 51 वर्ष, जाति तेली मुसलमान निवासी खसरा नम्बर 74/22/1 गली नम्बर 21 ए नजदीक रेल्वे लाईन स्वतंत्रता नगर, नरेला, उतर पश्चिमी, दिल्ली
6. मीमा पत्नी मिसू खॉ आयु 70 वर्ष, जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम झाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
7. रमजान बानू पुत्री मिसु खॉ पत्नी इंदु खॉ आयु 40 वर्ष, जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम धुन्धाला, तहसील व जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. अकबर खॉ पुत्र मिसू खॉ
2. फकीर मोहम्मद पुत्र रसूल खॉ
3. सतार मोहम्मद पुत्र रसूल खॉ
   जातियान तेली मुसलमान निवासीगण ग्राम झाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
4. लाला पुत्री मिसू खॉ पत्नी जंवरू खॉ जाति तेली मुसलमान निवासी न्यू लाईट कॉलोनी, कॉपरेटिव पेट्रोल पम्प के पीछे बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः– प्रार्थीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 5 सरकारी पैरोकार।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

:: आदेश :: दिनांक :- 28/9/2022

संक्षेप में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 234 रकबा 0.4692 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 235 रकबा 1.1811 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 60 रकबा 4.1259 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 61 रकबा 2.8962 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 4 कुल रकबा 8.6724 हैक्टेयर आयी हुयी है, जिसके खाता संख्या 244 है। उपरोक्त खसरा की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की सयुक्त खातेदारीसुदा, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/27 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/27 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/27 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 का 1/27 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 का 1/27 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 6 का 1/27 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 7 का 1/27 वॉ हिस्सा, है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/27 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/3 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/27 वॉ हिस्सा है। उपरोक्त खसरान की भूमि को प्रार्थना पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से संबोधित किया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से यानि खाता संख्या 244 की चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पर मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित अपने हिस्से के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर सयुक्त रूप से काबिज व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के हक व हिस्से के संबंध में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने आज दिन तक न तो प्रार्थीगण के निवेदन को स्वीकार किया व न ही प्रार्थीगण के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना बंटवाड़ा के प्रार्थीगण न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकते है और न ही उसे उपजाऊ बना सकते है, व न ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने हक व हिस्से की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत किया है। दिनांक 20.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त भूमि बैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आये। तब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को कहा कि आप वादग्रस्त जमीन का मौका क्यो दिखा रहे हो तब उन्होने प्रार्थीगण को कहा कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपने हिस्से की जमीन को बैचान करेंगे। तब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को कहा कि आप बिना बंटवाड़ा किये तथा बिना प्रार्थीगण की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नही कर सकते हो, तो अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने प्रार्थीगण की बात को न मानकर प्रार्थीगण को एलानिया कहा कि "हम तो हमारे हिस्से की भूमि को पड़ौस दर्शाते हुए बिना बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेंगे। यदि तुमने कानूनी कार्यवाही के जरिये रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हे भी तुम्हारे हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से से वंचित कर देंगे।" इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना बंटवाड़ा, बिना प्रार्थीगण की सहमति व बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवैध खनन कर रहे है, जिसकी वजह से वादग्रस्त कृषि भूमि पर जगह जगह बड़े बड़े खड़े हो गये है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य करना मुश्किल हो रहा है। जबकि बिना बंटवाड़ा के, बिना प्रार्थीगण की सहमति के व बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को वादग्रस्त कृषि भूमि पर अवैध खनन करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को उनके द्वारा उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की सयुक्त खातेदारीसुदा है तथा जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में वर्णित प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के हिस्से अनुसार मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है एवं सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये व बिना प्रार्थीगण की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित अपने हिस्से को अजनबी क्रेता को पड़ौस दर्शाते हुए बैचान, हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मूल्यों में नही आंका जा सकता तथा प्रार्थीगण का वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के मध्य अशांति पैदा हो जायेगी व मुदकमेंबाजी बढ जायेगी। जबकि कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बिना बंटवाड़ा के व बिना प्रार्थीगण की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि को पडौस दर्शाते हुए अजनबी क्रेता को बैचान करने का कोई अधिकार नही है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बिना प्रार्थीगण की सहमति के बिना वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़े के व बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वादग्रस्त कृषि भूमि पर अवैध खनन करने का कानूनन कोई अधिकार नही है फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 वादग्रस्त कृषि भूमि पर अवैध खनन कर रहे है, जिसके कारण वादग्रस्त कृषि भूमि पर जगह–जगह गहरे–गहरे खडे हो गये है जिसके कारण

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादग्रस्त कृषि भूमि पर काश्त कार्य करना मुश्किल हो गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बिना प्रार्थीगण की सहमति के, बिना बंटवाड़ा के व बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वादग्रस्त कृषि भूमि पर अवैध खनन करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को उक्त अवैध कार्य नही किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है। यदि उन्हे पाबन्द नही किया गया तो वो अवैध खनन से वादग्रस्त कृषि भूमि को काश्त उपयोग लायक नही रखेंगे, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसका भी मूल्यांकन रूपयो में नही किया जा सकता। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व मूलवाद के निर्णय तक के लिए प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की सयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि को बिना विधिवत् बंटवाड़ा कराये व बिना प्रार्थीगण की सहमति के पड़ौस दर्शाते हुए अन्य सख्श को बैचान, वसीयत, बख्शीश वगैराह से हस्तान्तरण नही करे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 न तो स्वयं दखलन्दाजी करे तथा न ही अपने हाली एजेन्ट, नोकर, मजदूर, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, भूमाफिया, किराये के गुण्डों वगैराह से ही कोई दखलन्दाजी करावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध खनन कार्य नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 5 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के पड़ौस दर्शाते हुए कराये जाने वाले हस्तान्तरण/अन्तरण संबंधी दस्तावेज का पंजीयन नही करे तथा न ही ऐसे हस्तान्तरण/अन्तरण संबंधी दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकार का रदोबदल करे तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा किये जा रहे अवैध खनन कार्य को तुरन्त प्रभाव से बंद करावे तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को उपस्थिति हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये गये लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 4 उपस्थित नही होने पर तारीख पेशी दिनांक 28.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी व अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए और निवेदन किया कि वो प्रस्तुत प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब देना नही चाहते है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :—

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मूल रूप से कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की सयुक्त खातेदारीसुदा है तथा जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में वर्णित प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के हिस्से अनुसार मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है एवं सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये व बिना प्रार्थीगण की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित अपने हिस्से को अजनबी क्रेता को पड़ौस दर्शाते हुए बैचान, हस्तान्तरण कर देते है तथा बिना प्रार्थीगण की सहमति व बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवैध खनन करते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मूल्यों में नही आंका जा सकता। जबकि कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बिना बंटवाड़ा के व बिना प्रार्थी की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि को पडौस दर्शाते हुए अजनबी क्रेता को बैचान करने तथा अवैध खनन करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की सयुक्त खातेदारी, सयुक्त कब्जाकाश्त की भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण का जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में वर्णितानुसार हक व हिस्सा निहित है। जो प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 से प्रमाणित होता है तथा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि को बिना विभाजन किये बैचान करने तथा बिना सक्षम अनुमति के अवैध खनन करने का कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त कृषि भूमि कें मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
विराटनगर

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 सें 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 234 रकबा 0.4692 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 235 रकबा 1.1811 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 60 रकबा 4.1259 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 61 रकबा 2.8962 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 4 कुल रकबा 8.6724 हैक्टेयर भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अवैध खनन नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 28/9/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा